राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1898/2024

एवं

अपील संख्या :– 579/2024

डॉ. मनोज कुमार डूडी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, स्वास्थ्य भवन विभाग, जयपुर (राज.)।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू (राज.)।
5. डॉ. रेखा, कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा, झुंझुनू (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.05.2024 एवं 26.02.2024 (क्रमशः)
आदेश की दिनांक : 07.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से : श्री राजेश निगम/श्री जय लोढ़ा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.05.2024 (अनुलग्नक–4 एवं 5) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उप निदेशक कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा, झुंझुनू में निरंतर पदस्थापित रहने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.12.2023 के द्वारा दिनांक 01.04.2021 से उप निदेशक के पद पर चयन किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुंझुनू से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजारी कलां, झुंझुनू किया गया। उक्त आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया। चूंकि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर कार्यरत है और चिकित्सा अधिकारी दर्शाते हुये स्थानान्तरण किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 20 के विपरीत जारी किया गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 579/2024 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 06.03.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति अपीलार्थी के पदस्थापन में आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। उक्त आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 101/2024 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। तदुपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17.05.2024 को कार्यग्रहण करने हेतु अनुमति दी गई और आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को झुंझुनू से जिला चिकित्सालय, जैसलमेर स्थानान्तरित कर दिया गया, जो बिना विवेक का इस्तेमाल किये आदेश जारी किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश मनमाना एवं अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से जारी किया गया है। जबकि आदेश दिनांक 06.03.2024 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को पूर्वोक्त पद पर कार्यग्रहण कराया जावे। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के समय किया गया है और उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी करने हेतु उच्च स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेश के क्रम में अनुमति लिया जाना अनिवार्य था, परंतु उच्च स्तर से बिना अनुमति लिये

अपीलार्थी के संबंध में स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया है, जो पूर्णतः उक्त प्रतिबंध के एवं नियमों के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10796/2022 हीरालाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.09.2022 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.05.2024 (अनुलग्नक–4 एवं 5) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उप निदेशक कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा, झुंझुनू में निरंतर पदस्थापित रहने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधानानुसार एवं उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं। स्थानान्तरण आदेशों में त्रुटि होने के कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता होने के कारण कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और उच्च स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यग्रहण करवाया गया। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई द्वेषता नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को बीसीएमओ, झुंझुनू स्थानान्तरण किया गया है जो वाइसवरसा स्थानान्तरण था और अधिकरण द्वारा एकतरफा सुनवाई के दौरान दिनांक 06.03.2024 को स्थगन प्राप्त कर लिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक मुख्य

चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुंझुनू से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजारी कलां, झुंझुनू किया गया। जिसे अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश को चुनौती देते हुये अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 579/2024 प्रस्तुत की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 06.03.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसमें उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी को वही पर कार्यरत रखा जावे एवं यदि अपीलार्थी नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करता है तो यह स्थगन आदेश बाधक नहीं होगा। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की पूर्ण रूप से पालना नहीं कराई गई, जो उचित प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 101/2024 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने उपरांत अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.03.2024 से लगभग दो माह पश्चात दिनांक 17.05.2024 को अपीलार्थी को कार्यग्रहण करने हेतु अनुमति दी गई और तदुपरान्त आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2024 के द्वारा अपीलार्थी को झुंझुनू से जिला चिकित्सालय, जैसलमेर स्थानान्तरित कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्णरूप से लगे प्रतिबंध के दौरान उक्त आलोच्य आदेश जारी किया गया है, जो गलत है। चूंकि उक्त आलोच्य आदेश में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की उच्च स्तर से सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लिये बिना आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.05.2024 जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य आदेश बिना अनुमति के स्थानान्तरण पर लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध के विपरीत जाकर जारी किया गया है, जो राज्य सरकार के निर्देशों के विरूद्ध है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.03.2024 की पूर्णरूप से पालना समय पर नहीं कराया जाना भी प्रत्यर्थी विभाग की गलत नियत को दर्शाता है। इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 29.05.2024 (अनुलग्नक–4 एवं 5) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने हेतु स्वतंत्र है।

अपील संख्या 579/2024 में अधिकरण द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि (confirm) किया जाता है। उक्त दोनों अपीलें उक्त आदेश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1898/2024 डॉ. मनोज कुमार डूडी बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक में वर्णित अन्य अपील संख्या 579/2024 डॉ. मनोज कुमार डूडी में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य